संख्या:-09/2024/1085 /सैंतालीस-का-1-2024-13(2)/2007

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 **दिनांक 30 सितम्बर, 2024**

विषयः- राज्याधीन सेवाओं में सृजित/उपलब्ध पदों को भरने हेतु मेरिट आधारित चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-04/2019/13(2)/2007/का-1-2019, दिनांक 27 सितम्बर, 2019 के प्रस्तर-7 के माध्यम से मेरिट आधारित चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांत/व्यवस्था निर्धारित की गई है।

2. उक्त शासनादेश के प्रस्तर -7 के उप प्रस्तर-5 की व्यवस्था निम्नवत है:-

''प्रत्येक दीर्घ शास्ति हेतु सम्बंधित कार्मिक कों प्रथम 05 क्रमिक चयनों में 'अनुपयुक्त' माना जाएगा, किन्तु 05 क्रमिक चयन के पश्चात के चयन हेतु उक्त दीर्घ शास्ति/शास्तियों को संज्ञान में नही लिया जाएगा। इसी प्रकार, प्रत्येक लघु शास्ति हेतु संबंधित कार्मिक को प्रथम 02 क्रमिक चयनों में अनुपयुक्त माना जायेगा, किन्तु 02 क्रमिक चयन के पश्चात् के चयन हेतु उक्त लघु शास्ति/ शास्तियों को संज्ञान में नही लिया जाएगा।''

3. शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय प्रकरणों में, संबंधित कार्मिक के विरूद्ध पारित दण्डादेश को संज्ञान में लेते हुए, संबंधित चयन समिति द्वारा ज्येष्ठता आधारित चयनों में पदोन्नतियां प्राप्त हो जाती हैं, किन्तु संबंधित कार्मिक जब मेरिट आधारित चयन में विचारण हेतु पात्र होता है तो उक्त कार्मिक को पुन: शासनादेश दिनांक 27 सितम्बर, 2019 के प्रस्तर-7(5) की व्यवस्थानुसार पुन: अनुपयुक्त माना जाता है।

4. अत: सम्यक विचारोपरांत शासनादेश संख्या-04/2019/13(2)2007, दिनांक 27 सितम्बर, 2019 के प्रस्तर-7 के उप प्रस्तर-(5) की व्यवस्था को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

''प्रत्येक दीर्घ शास्ति हेतु सम्बंधित कार्मिक को प्रथम 05 क्रमिक चयनों में 'अनुपयुक्त' माना जाएगा, किन्तु 05 क्रमिक चयन के पश्चात् के चयन हेतु उक्त दीर्घ शास्ति/शास्तियों को संज्ञान में नही लिया जाएगा। इसी प्रकार, प्रत्येक लघु शास्ति हेतु सम्बंधित कार्मिक को प्रथम 02 क्रमिक चयनों में, अनुपयुक्त माना जायेगा, किन्तु 02 क्रमिक चयन के पश्चात् के चयन हेतु उक्त लघु शास्ति/ शास्तियों को संज्ञान में नही लिया जाएगा।''

परन्तु, यदि किसी कार्मिक को किसी दण्डादेश के विद्यमान रहते ज्येष्ठता आधारित चयनों में पदोन्नति प्राप्त हो गयी है तो पदोन्नति पर विचारण के समय चयन समिति द्वारा, संबंधित कार्मिक के विरूद्ध पारित उक्त दण्डादेश से संबंधित आरोपों/अनियमितताओं की गम्भीरता/प्रकृति, दण्ड के परिमाण (Quantum of Punishment) आदि पर समुचित विचारण कर निर्णय लिया जा सकेगा।

5. उपर्युक्त के आलोक में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेरिट आधारित चयनों में उक्त परिवर्द्धित (Additional) सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांत/व्यवस्था, तत्काल प्रभाव से, संज्ञान में लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:-09/2024/1085(1)/सैंतालीस-का-1-2024-13(2)/2007, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
एम0 देवराज
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।